न्यायालय सहायक कलक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक)नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

जी.सी.एम.एस. नम्बर– 2021/1266

मुकदमा नम्बर 76/2021 — दायर दिनांक : 02–09–2021

1. सायर
2. प्रतापराम
3. सोहनलाल
4. परमेश्वरी

पुत्र/पुत्री गिरधारी उर्फ गणेशा जाति मेंघवाल निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ।

–वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

–प्रतिवादी

वकील वादी : – श्री सुरेन्द्र कुमार बेरवाल
वकील प्रति. :– राजपैरोकार

दावा : बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती

:: निर्णय ::

दिनांक – 28–02–2022

वाद–पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– वादी ने वाद पत्र इस कदर पेश किया कि ग्राम तुर्काणी जोहडी पटवार हल्का खिरोड़ की सरहद में काश्त की भूमि खाता संख्या नया 22 पुराना 14 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 57 रकबा 1.63 हैक्टर अवस्थित है जो वादीगण के पिता गणेशा पुत्र सुखा के नाम से दर्ज है। वादीगण के पिता गणेशाराम का स्वर्गवास हो गया है। गणेशा की वर्तमान वंशावली निम्न प्रकार है।

गणेशा उर्फ गिरधारी (फौत)

सायर (पुत्र) — प्रतापराम(पुत्र) — सोहनलाल(पुत्र) — परमेश्वरी (पुत्री)

वादीगण के पिता को गणेशा व गिरधारी दोनो के नाम से जाना जाता था जिस कारण से ग्राम तुर्काणी जोहड़ी पटवार हल्का खिरोड़ की काश्त की भूमि में खाता संख्या नया 22 पुराना 14 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 57 रकबा 1.63 हैक्टर में वादीगण के पिता का नाम गणेशा पुत्र सुखा नाम है जो गलत राजस्व रिकार्ड बना हैं वादीगण के अन्य दस्तावेजात आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली का बिल, वृद्धावस्था पी.पी.ओ. नम्बर सभी में पिता का नाम गिरधारी दर्ज है जो सही है। जो एक मानवीय भूमि संहवन से लिपिकीय त्रुटि से हुआ है। जिसका शुद्धिकरण करना न्यायहित में न्यायोचित है।

गणेशा उर्फ गिरधारी का स्वर्गवास दिनांक 06.04.1999 को हो गया है गणेशा की धर्मपत्नी का भी स्वर्गवास हो गया है वादीगण गणेशा उर्फ गिरधारी के जायन्दा के जायन्दा पुत्र व पुत्री है जिनका गणेशा उर्फ गिरधारी की सम्पति में जन्म से ही हक अधिकार है जिनका प्रत्येक का 1/4 वां हिस्सा है अर्थात प्रत्येक का 0.41 हैक्टर भूमि में खातेदार काश्तकार है इसलिए अपने हिस्से की घोषणा करवाने के लिए वादीगण के लिये यह उक्त दावा पेश किया गया हैं।

वादीगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में गणेशा दर्ज होने के कारण व अन्य दस्तावेजों मे गिरधारी होने के कारण वादीगण को भारत सरकार व राजस्थान सरकार की ओर से काश्त की भूमि में मिलने वाली वितीय सुविधाओं से वंचित हो रहे है जिस कारण से गलत दर्ज राजस्व रिकार्ड के कारण सरकार द्वारा काश्तकार को देने वाली वितीय सहायता से वंचित होना पड रहा वादीगण को वितीय सहायता नही मिलने पर दावा पेश करने के लिये वादकारण उत्पन्न हुआ। वादीगण का दावा व वादीगण का निवास स्थान न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से वाद सुनने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार है।

वादी द्वारा वाद–पत्र मे अनुतोष के संबंध में निवेदन किया गया कि वादीगण का दावा बहक प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर ग्राम तुर्काणी जोहडी पटवार हल्का खिरोड की सरहद में काश्त की भूमि खाता संख्या नया

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:12:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

(3)

22 पुराना 14 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 57 रकबा 1.63 हैक्टर में वादीगण को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रत्येक को 0.41 हैक्टर का सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादीगण के पिता गणेशा के स्थान पर गिरधार का नाम शुद्धिकरण किया जावे। अन्य कोई सिद्धी चाही जाने से रह गई हो जो वादीगण के पक्ष मे हो वह भी दिलवाई जावे।

वादीगण द्वारा वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से सम्यक तामिल के बावजूद इनके ओर से कोई भी उपस्थित न्यायालय नही होने के फलस्वरूप इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

तद्पश्चात तहसीलदार नवलगढ़ से वादीगण के पिता गणेशा उर्फ गिरधारी के संबंध में रिपोर्ट चाही गई तहसीलदार नवलगढ द्वारा मौका जांच कर रिपोर्ट पेश कर कथन किया कि वाके ग्राम तुर्काणी जोहडी जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 के खाता संख्या 22 में गणेशा पुत्र सुखा जाति मेघवंशी दर्ज है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा मतदाता पहचान पत्र, ग्राम पंचायत झाझड़ का प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजात के अनुसार व मौका फर्द अनुसार गिरधारी लाल पुत्र सुखाराम होना पाया गया है।

जवाब देही प्रस्तुत होने पर शहादत वादी ली गई। शहादत वादी में प्रतापराम, सोहनलाल, सायर पुत्रगण गिरधारी उर्फ गणेशा जाति मेघवाल निवासी झाझड़ उपस्थित न्यायालय हो अपने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश किये गये।

बहस वकील पक्षकारान् सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में ग्राम तुर्काणी जोहडी पटवार हल्का खिरोड की जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 पेश किया था। नाम के सम्बन्ध में दस्तावेजात के रूप में आधार कार्ड, पेशन पीपीओ, मतदाता पहचान पत्र पेश किया गया जिसमें वादी का नाम गिराधारी सिंह पुत्र सुखा जाति मेघवाल दर्ज रिकार्ड है, जबकि तहसीलदार नवलगढ़ की रिपोर्ट एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में भी गिरधारी पुत्र सुखा जाति मेघवाल दर्ज है। तथा तहसीलदार नवलगढ द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि गणेशा पुत्र सुखा व गिरधारी सिंह पुत्र सुखा जाति मेघवाल दोनो नाम एक ही व्यक्ति के नाम है जो वादीगण के पिता है। वादीगण के पिता गणेशा का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वादी संख्या 1 लगायत 1 जायन्दा वारिस है। गणेशा के फौत होने पर वादीगण हिस्सा 1/4–1/4 के खातेदार काश्तकार किया जाना उचित है। उक्त दस्तावेजात एवं तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट यह साबित होता है कि गणेशा पुत्र सुखा व गिरधारी सिंह पुत्र सुखा जाति मेघवाल दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है तथा वादीगण के पिता का सही व वास्तविक नाम गिरधारी साबित होता है। वादी को राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम तुर्काणी जोहडी पटवार हल्का खिरोड़ की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 22 पुराना 14 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 57 रकबा 1.63 हैक्टर में वादीगण संख्या 1 लगायत 4 प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा वादीगण के पिता का नाम गणेशा पुत्र सुखा के स्थान पर गिरधारी पुत्र सुखा जाति मेघवाल दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की एक प्रति तहसीलदार नवलगढ़ को भेजी जावे। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से खारिज हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.03.25 16:12:28 IST
Reason: SelfAttested

दमयंती कंवर, (R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ़

(5)

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) मुकाम बईजलास नवलगढ

दमयंती कंवर (आर०ए०एस०) ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.), नवलगढ.

दावा बाबत घोषणार्थ व रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा नम्बर 76/2021 (सायर आदि बनाम तहसीलदार, नवलगढ़)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कंवर** (आर०ए०एस०),ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.), नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब–मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 28.02.2022 निर्णयानुसार राजस्व ग्राम तुर्काणी जोहडी पटवार हल्का खिरोड़ की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 22 पुराना 14 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 57 रकबा 1.63 हैक्टर में वादीगण संख्या 1 लगायत 4 प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा वादीगण के पिता का नाम गणेशा पुत्र सुखा के स्थान पर गिरधारी पुत्र सुखा जाति मेघवाल दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 28.02.2022 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:12:28 IST
Reason: SelfAttested